

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 14, शुक्रवार, १४०६ १९४७- दिसम्बर ०५, २०२५ Agrahayana 14, Friday, Saka 1947- December 05, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा

अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर ०२, २०२५

एस.ओ.136 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 2(38)वित/कर/2009-117 दिनांक 13.11.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 13, 2025

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 2(38) वित/कर/2009-164 दिनांक 01.03.2019 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, संनिर्मित भाग के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए दरें इसके द्वारा निम्नानुसार अवधारित करती है:-

क्र.सं.	संनिर्माण के प्रवर्ग	दरें
1.	क्रम संख्यांक 2,3,4 और 5 के सामने विनिर्दिष्ट संनिर्माण के प्रवर्गों से भिन्न आरसीसी छत के साथ संनिर्माण	1800/- रुपया प्रति वर्ग फीट
2.	तहखाना, भीतरी मल्टीप्लेक्स के साथ बहुमंजिला भवन वाले शॉपिंग मॉल	2100/- रुपया प्रति वर्ग फीट
3.	तहखाना के साथ और मल्टीप्लेक्स के बिना बहुमंजिला	2000/- रुपया प्रति वर्ग फीट

	भवन वाले शॉपिंग मॉल	
4.	पांच सितारा और उससे ऊपर की सुविधाओं के साथ होटल और क्लब	2500/- रुपया प्रति वर्ग फीट
5.	पांच सितारा सुविधाओं से नीचे होटल और क्लब	2100/- रुपया प्रति वर्ग फीट
6.	पट्टी छत के साथ संनिर्माण	1000/- रुपया प्रति वर्ग फीट
7.	कच्चा/गीली मिट्टी और केलुपोश संनिर्माण	250/- रुपया प्रति वर्ग फीट
8.	छत के साथ किंतु प्लास्टर, फर्श, सैनटरी, विद्युत इत्यादि के बिना ढांचा	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 और, यथास्थिति, 6 पर दरों का 50 प्रतिशत।
9.	छत के बिना ढांचा	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 पर दर का 25 प्रतिशत।
10.	प्लिंथ स्तर तक संनिर्माण	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 पर दर का 10 प्रतिशत।
11.	औद्योगिक शेड/गोदाम	5000/- रुपया प्रति वर्ग मीटर
12.	औद्योगिक शेड से भिन्न शेड	3000/- रुपया प्रति वर्ग मीटर
13.	सीमा दीवाल	500/- रुपया प्रति रनिंग मीटर

टिप्पण: उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित किसी भी प्रवर्ग में नहीं आने वाले संनिर्माण का बाजार मूल्य, महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

[सं. एफ. 2 (38)वित्त/कर/2009-117]

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल,

संयुक्त शासन सचिव”।

Government Central Press, Jaipur.